

न्यायालय जिला कलकत्ता एत जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

माफी मन्दिर कल्याण जी महाराज बनाम एरा डी ओ जयपुर प्रथम व अन्य

केस संख्या 217/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा सा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
13.02.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठारीन अधिकारी डॉ. राकेश कुमार मीणा आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 110/2021 व टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 89/2021 व उनवानी माफी मन्दिर कल्याण जी बनाम सुरेश व अन्य में पीठारीन अधिकारी डॉ. राकेश कुमार मीणा आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र समक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के तत्कालीन पीठारीन अधिकारी डॉ. राकेश कुमार मीणा आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">(प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलकत्ता जयपुर</p>	